

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूडो की ढाणी

प्रार्थीगण  
1. भंवरलाल पुत्र मगाराम जाति भाट,  
निवासी महादेव नगर, मूडो की ढाणी  
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उदाराम पुत्र प्रभूराम जाति भाट 2. नाधूराम पुत्र केहराराम जाति जाट 3. पदमाराम केहराराम जाति जाट 4. खेताखां पुत्र अदरीनखां जाति मुसलमान 5. ताजाराम पुत्र लाधूराम 6. खेताराम पुत्र लाधूराम 7. भूराराम पुत्र लाधूराम 8. दरियादेवी पत्नि लाधूराम 9. गोर्धनराम पुत्र रायमलराम 10. किस्तुराराम पुत्र रायमलराम 11. खेमाराम पुत्र रायमलराम 12. वीरमाराम पुत्र रायमलराम जातियान भाट 13. कंकूदेवी पत्नि रायमलराम जाति भाट 14. भोमाराम पुत्र नंगलाराम 15. रूपाराम पुत्र नंगलाराम 16. तुलसाराम पुत्र नंगलाराम 17. सवाराम पुत्र नंगलाराम 18. आसूराम पुत्र नंगलाराम 19. अन्नाराम पुत्र नंगलाराम 20. बाड़राम पुत्र नंगलाराम जातियान भाट निवासी महादेव नगर, मूडो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 21. लहरोदवी पत्नि संताराम 22. गवरी पत्नि जैसाराम 23. तारो पत्नि जैसाराम 24. असलाराम पुत्र वीरमाराम 25. हनुमानराम पुत्र लुम्बाराम जातियान जाट निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-131/2021 दिनांक-16.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र मूडो की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 620/276 रकबा 08.13 बीघा, खसरा नम्बर 628/276 रकबा 16.02 बीघा, कुल रकबा 24.15 बीघा चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा उनके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 467-470  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूडो की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भंवरलाल पुत्र मगाराम जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूडो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण उदाराम पुत्र प्रभूराम वगैरह जाति भाट/जाट निवासी चौखला तहसील बायतु महादेव नगर, मूडो की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर